न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–01/2022–23

प्रथम पक्षः–अशोक उराँव वगै0, ग्राम–मुरवे, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः–शंकर उरांव अन्य, ग्राम–मुरवे, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा।

1	2	3

13/02/2024

आदेश

1. इस वाद की प्रक्रिया आवेदक–अशोक उरांव एवं अन्य, पिता–स्व0 रामचन्द्र उरांव, ग्राम–मुरवे, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा द्वारा अंचल अधिकारी, सिमरिया के विविध वाद संख्या–10/2017–18 (रामचन्द्र उरांव बनाम शंकर उरांव) में दिनांक–13.05.2021 को पारित आदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। इस वाद में द्वितीय पक्ष शंकर उरांव एवं अन्य, पिता–गणेश उरांव, ग्राम–मुरवे, थाना–सिमरिया, जिला–चतरा है। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा
मुरवे	48	87 एवं अन्य कुल प्लॉट–16	7.75 एकड़

2. इस वाद की प्रक्रिया में प्रथम पक्ष द्वारा इस न्यायालय को लिखित कथन के माध्यम से यह अवगत कराया है कि प्रश्नगत मौजा–मुरवे के खाता नं0–48, प्लॉट नं0–87 एवं अन्य कुल–16 प्लॉट, रकबा–7.75 एकड़ भूमि से संबंधित है। यह कि सर्वे खतियानी रैयत बरिया उरांव, पिता–बढ़न उरांव हुए। बरिया उरांव अपने जीवन काल तक उक्त भूमि पर काबिज रहें। बरिया उरांव के दो पुत्र हुए। 1. लटवा उरांव तथा 2. धुरत उरांव। यह कि सर्वे खतियानी भूमि खाता नं0–48, प्लॉट कुल–16, रकबा–7.75 एकड़ भूमि अंचल सिमरिया में पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–265/2 पर दर्ज है तथा साल–दर–साल लगान रसीद भी निर्गत होते आ रही है। यह कि लटवा उरांव के एक पुत्री हुई, जिनका नाम जीतनी देवी है तथा इनकी शादी लछु उरांव, ग्राम–उड़सु, थाना–सिमरिया के साथ हुई। लटवा उरांव के देख–भाल, दवा–दारू घुरता उरांव तथा इनके पुत्र रामचन्दर उरांव एवं बढ़न उरांव द्वारा की गई है।

3. यह कि द्वितीय पक्ष वर्त्तमान समय में जाली दान पत्र बनाकर सर्वे खतियानी भूमि खाता नं0–48, कुल प्लॉट–16, रकबा–3.87½ एकड़ भूमि का अवैध जमाबन्दी अंचल सिमरिया में दाखिल–खारिज कराकर पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–265/2 पर कायम करवा लिया है। यह कि द्वितीय पक्ष दान पत्र लेने का दावा 03.03.1986 ई0 द्वारा कर रहें हैं। प्रश्नगत

Scanned with OKEN Scanner

भूमि पर द्वितीय पक्ष का कभी भी दखल–कब्जा नहीं रहा है। यह कि उक्त भूमि पर शुरू से लेकर वर्त्तमान तक प्रथम पक्ष का हीं दखल–कब्जा एवं जोत–कोड़ है।

4. यह कि अंचल अधिकारी, सिमरिया के जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम–मुरवे अन्तर्गत खाता नं0–48, कुल प्लॉट–16, कुल रकबा–7.72 एकड बरीया उरांव के नाम से खतियान में दर्ज है। वर्त्तमान पंजी–2 में पृष्ठ संख्या–265/2 पर लटवा उरांव के नाम से जमाबन्दी चल रही है तथा खाता नं0–48, रकबा–3.87½ एकड़ भूमि का जमाबन्दी शंकर उरांव वगै0 के नाम से पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–361/2 पर चल रही है तथा साल–दर–साल लगान रसीद निर्गत होते आ रही है। शंकर उरांव वगै0 का प्रश्नगत भूमि पर कभी भी जोत–कोड़, दखल–कब्जा नहीं रहा है।

5. यह कि अपीलकर्त्ता के सर्वे खतियानी भूमि हड़पने के नियत से जीतनी देवी के स्थान पर दूसरे महिला को खड़ा कर दान पत्र लिखवाया गया है। प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष के दान–पत्र को जाली एवं बनावटी बताते हुए द्वितीय पक्ष के दावा को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

6. प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में सर्व खतियान की छायाप्रति, पंजी–2 के प्रमाणित छायाप्रति एवं Hindu Law पृष्ठ संख्या–303, 304 की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

7. दूसरी ओर द्वितीय पक्ष ने लिखित कथन के माध्यम से इस न्यायालय को यह बताया है कि मौजा–मुरवे, थाना–सिमरिया के अन्तर्गत खाता नं0–48, कुल रकबा–7.75 एकड़ भूमि पर अंचल अधिकारी, सिमरिया द्वारा दिनांक–13.05.2021 में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम पक्षगण के द्वारा अपील वाद लाया गया है। यह कि प्रश्नगत भू–खण्ड के खाता नं0–48, कुल प्लॉट–16, कुल रकबा–7.75 एकड़ का खतियान रैयत बरिया उरांव के नाम से दर्ज है। बरिया उरांव दो पुत्र हुए। 1. धुरत उरांव तथा 2. लटवा उरांव। यह कि लटवा उरांव की एक मात्र पुत्री जीतनी देवी को छोडकर उनकी मृत्यु हो गई। धुरत उरांव के दो पुत्र हुए। 1. रामचन्द्र उरांव तथा 2. बढ़न उरांव। रामचन्द्र उरांव के चार पुत्र हुए। 1. प्रकाश उरांव, 2. अजय उरांव, 3. अशोक उरांव तथा 4. रोहित उरांव। बढ़न उरांव के एक पुत्र युगल उरांव हुए। युगल उरांव के तीन पुत्र हुए। 1. राहुल उरांव, 2. दीपक उरांव एवं 3. विवेक उरांव।

8. यह कि खतियानी रैयत बरिया उरांव के मृत्यु के पश्चात् इनके पुत्र लटवा उरांव एवं धुरत उरांव के बीच उक्त खाता–प्लॉट की भूमि का आपसी मौखिक खानगी बंटवारा हुआ तथा बंटवारा के पश्चात् दोनों भाई अपने–अपने हिस्से में काबिज हुए। यह कि खतियानी

Scanned with OKEN Scanner

रैयत बरिया उरांव के पुत्र लटवा उरांव के एक पुत्री एवं उतराधिकारी जीतनी देवी थी तथा बरिया उरांव के पुत्री बुटनी देवी के एक मात्र पुत्र गणेश उरांव को लालन–पालन कर लटवा उरांव अपने देख–भाल एवं सेवा–सत्कार के लिए रख लिये। लटवा उरांव के मृत्यु के बाद दाह–संस्कार तथा श्राद्ध कार्यक्रम प्रथम पक्ष के पिता गणेश उरांव के द्वारा किया गया था। वर्त्तमान में भी जीतनी देवी के मृत्यु के पश्चात् प्रथम पक्ष के वंशजों का देख–भाल करते आ रहें हैं।

9. यह कि प्रथम पक्ष के पिता–गणेश उरांव के मृत्यु के पश्चात् प्रथम पक्ष लटवा उरांव की पुत्री का देखभाल एवं शादी–विवाह द्वितीय पक्ष के द्वारा किया गया। लटवा उरांव की पुत्री जीतनी देवी, पति–लछु उरांव इसी से खुश होकर मौजा–मुरवे के खाता नं0–48, कुल प्लॉट–16, कुल रकबा–7.75 एकड़ भूमि, मधे रकबा–3.87½ एकड़ भूमि का निबंधित दान–पत्र दिनांक–15.01.1985 में प्रथम पक्ष 1. शंकर रांव, 2. श्री रामसहाय उरांव, 3. श्री सुखदेव उरांव, 4. श्री सेवा उरांव सभी पे0–स्व0 गणेश उरांव, सभी साकिन–मौजा–मुरवे, प्रगणा–गोरिया, थाना–सिमरिया सब रजिस्ट्री चतरा, जिला–हजारीबाग के नाम से कर दिया, जिसका निबंधित दान–पत्र संख्या–348 है।

10. यह कि खाता नं0–48, कुल प्लॉट–16, कुल रकबा–7.75 एकड़ भूमि, मधे रकबा–3.87½ एकड़ भूमि निबंधित दान–पत्र संख्या–348, दिनांक–15.01.1985 के आधार पर कार्यालय अंचल अधिकारी, सिमरिया से दाखिल–खारिज कराकर पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–301/2 पर जमाबन्दी कायम हुई तथा सरकारी मालगुजारी रसीद पूर्व से लेकर वर्त्तमान–2022–23 तक निर्गत है। इनके द्वारा जमाबन्दी यथावत रखने का अनुरोध किया गया है।

11. द्वितीय पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में .निबंधि दान पत्र संख्या–348, दिनांक–15.01.1985 की छायाप्रति, पंजी–2 की छायाप्रति, ऑनलाईन–ऑफलाईन मालगुजारी रसीद की छायाप्रति एवं वंशावली की छायाप्रति प्रसतुत की गई है।

12. इस प्रकार इस वाद की प्रक्रिया में उभय पक्षों के द्वारा दाखिल किये गए लिखित कथन, संलग्न राजस्व कागजात, अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश तथा विद्वान अधिवक्ता के तर्क सूनने के बाद यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भू–खण्ड CNT Act के अन्तर्गत आती है।

13. आवेदक को उक्त संबंधित वाद 30 वर्षों के अन्दर हीं दायर करनी चाहिए, परन्तु आवेदक के द्वारा यह वाद 30 वर्षों के अन्दर नहीं लाया गया।

Scanned with OKEN Scanner

14. लटवा उरांव एवं धुरता उरांव के बीच आपसी बंटवारा का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं की गई। लटवा उरांव की पुत्री जीतनी देवी, पति–लछु उरांव के द्वारा दान पत्र संख्या–398, दिनांक–15.01.1985 में शंकर उरांव एवं अन्य के नाम से दान देकर विक्रय किया गया। इसमें CNT Act 46 (i)(a) का अनुपालन नहीं किया गया और न हीं इससे संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। उक्त संदर्भ में माननीय न्यायालय द्वारा भी आदेश पारित है, जो मार्ग दर्शक है, जैसा कि **(Rajeshwari Devi v. Commissioner, South Chotanagpur Diision, Ranchi, 2006 (4)JCR 182(Jhr)** में कहा गया है:– ***"Necessity of Transfer of land by raiyat to another person who is a scheduled tribe and resident of area of same police station within which holding is situated-Prior permission of Deputy Commissioner necessary."***

एवं

(Sukrin and another v.Sitaram Sao and others, 2001 (2) JCR 271 (Jhr) : 2002 (1) JLJR 42 (Jhr)) में भी कहा गया है:–***"Prior permission of Deputy Commissioner is mandatory provision to transfer of land by member of schedule tribe-Failing which such transfer in hit by the bar of Section 46."***

15. प्रथम पक्ष के द्वारा अपने लिखित कथन में दावा किया गया है कि दान पत्र फर्जी है। इनके द्वारा दान पत्र रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है, परन्तु दान पत्र रद्द करेन के लिए यह न्यायालय सक्षम न्यायालय नहीं है। जहाँ तक आपसी बंटवारा का मामला है, इसके लिए सक्षम न्यायालय व्यवहार न्यायालय है।

16. अतः अंचल अधिकारी, सिमरिया को निर्देशित किया जाता है कि जब तक सक्षम न्यायालय से कोई अन्यथा आदेश प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक द्वितीय पक्ष शंकर उरांव एवं अन्य के नाम से पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–301/2 पर चल रही जमाबन्दी को **स्थगित** रखेंगें। अतः असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय जाने के हेतु स्वतंत्र है। आदेश की एक प्रति अनुपालन हेतु अंचल कार्यालय, सिमरिया को भेजें।

वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

13/02/2024

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

13/02/2024

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.08.06 18:48:52 +05:30
Location: 192.168.113.12

Scanned with OKEN Scanner